

निर्णय

///आज दिनांक 03.08.2023 को घोषित///

1- अभियुक्त विजयपाल पुत्र मुन्नालाल अहिरवार, आयु 30 वर्ष, निवासी- ग्राम बावरोद, थाना बहादुरपुर, जिला अशोकनगर म.प्र. द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर उसे न्यायालय उठने तक के दण्ड एवं 1000/- (अंकन एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड देने में व्यतिक्रम करने पर आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।

2- प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर मा0 अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया।

(कर्नल सिंह श्याम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुंगावली, जिला अशोकनगर म.प्र.

(कर्नल सिंह श्याम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुंगावली, जिला अशोकनगर म.प्र.